

सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले
कर्मचारी

7531. श्री टी० पी० शाह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में नियमित रूप से देर से आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि सरकारी कर्मचारी के देर से आने पर उस के हिसाब में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाए किन्तु एक घंटे तक देरी को सक्षम अधिकारी मास में अधिक से अधिक दो बार माफ कर सकता है यदि उसे यह सन्तोष हो जाए कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से हुआ है । यदि इस प्रकार की कार्यवाही से भी सम्बन्धित कर्मचारी समय पर न आने लगे तो प्रत्येक देर से आने पर आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटने के अलावा उस के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाए ।

Commemorative Stamps

7532. **Shri R. R. Singh Deo:**
Shri D. N. Deb:
Shri D. Amat:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have finalised any scheme to issue postal Commemorative stamps in the memory of the great poets and writers of Orissa namely, the late Kavi Samarat Upendra Bhany, Late Kavi Gangadhar Meher and Late Fakir Mohan Senapati;

(b) if not, whether Government propose to appoint any Committee or commission to study the desirability of issuing such stamps to pay due homage to prominent sons of India having regional importance; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (c). No, Sir. The proposal for the issue of commemorative stamps in honour of the three poets and writers of Orissa has been received very recently. The matter will be placed before the Philatelic Advisory Committee which considers such proposals.

Area of Himachal Pradesh and Punjab Prior to 1st November, 1966.

7533. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Hukam Chand Kachwal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the area of Himachal Pradesh and Punjab before their reorganisation on the 1st November, 1966; and

(b) the area of the present States of Punjab and Haryana and Union Territories of Himachal Pradesh and Chandigarh, separately?